विचार बिन्दु

अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसका आदर करते हैं। –महाभारत

Justice Delayed is Justice Denied
(न्याय में विलम्ब, न्याय नहीं मिलने के समान है)

संविधान लागू होने के बाद से न्याय व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भ में कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया था; किन्तु बाद में इसे कोर्ट ऑफ लॉ कहा गया है।

संविधान के प्रियम्बल में यह घोषणा की गई है, कि देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्ति का अधिकार है और वह नागरिक का मूल अधिकार है साथ ही राज्य का कर्त्तव्य है कि न्याय सबको प्राप्त हो। न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित हो। विलम्ब से दिया गया न्याय, न्याय नहीं मिलने जैसा है। अनुच्छेद 21 हमें गरिमा मय जीने का अधिकार देता है। त्वरित न्याय प्राप्त करना व्यक्ति का मूल अधिकार है।

देश के सभी न्यायालय में लाखों मुकदमें निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। लोग न्याय की प्रतीक्षा में घुट-घुट कर मर रहे हैं। जेल भीड से भरे हैं न तो पर्याप्त न्यायालय हैं और न न्यायाधीश। न्यायालय व सरकार विलम्ब के दोषी हैं, मुक्ति की कोई राह नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50 Constitution Bench के केसेज संवैधानिक विषयों के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। हाँ, यह भी सच है 1994 से अभी तक 2192 केसों का निस्तारण हो चुका है।

कानून है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के विरूद्ध हाईकोर्ट में रिट् याचिका नहीं होगी। हाईकोर्ट का अपना ही फैसला है कि रिट नहीं होगी, किन्तु मर्यादा का उल्लंघन कर वही हाईकोर्ट रिट याचिका में स्टे देता है। कई मामले इस विषय के बाबत सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है, किन्तु निर्णित नहीं होते और अनियमितता के केस बढ़ रहे हैं। जबकि त्वरित न्याय की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने क्रिमिनल अपील नं. 812 में छत्तीसगढ हाईकोर्ट के विरूद्ध एक तीखी टिप्पणी की थी। आरोपी अपराध के लिये जेल में 9 वर्ष रहा जो इसने किया ही नहीं था। केस में कोई शहादत नहीं थी केवल Last Seen की थ्योरी पर सजा दी गई है वह भी यह कह कर कि Last Seen की थ्योरी से जो Presumption कानून मानता है, अपराधी उसे Rebut नहीं कर पाया है। केस में PW 1 की शहादत थी कि मृतक की मृत्यु 5 PM को घर में हुई थी व अपराधी घर ही 7 PM को आया था। मृतक अपराधी की पत्नी थी। इस प्रकार Presumption को Discharge करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केस में दो गवाह थे वे दोनों की Hostile घोषित किये गये। कोर्ट ने कहा कि इस शहादत का सर्वथा अभाव है कि मृतक व अपराधी दोनों 5 बजे शाम को साथ-साथ थे। माननीय न्यायालय ने माना न्यायालयों के पास समय नहीं है। जस्टिस ऑका ने यह भी टिप्पणी की कि स्टेट Acquital के विरूद्ध अपील फाईल कर देती है और इस कारण भी केस के निस्तारण में समय बर्बाद हो जाता है।

दिनांक 29 जुलाई 2024 के समाचार पत्र The Times of India के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पढ़ा। यह समाचार ट्रायल कोर्ट द्वार जमानत देने के सम्बन्ध में था। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा था कि Trial Judges Play Safer by Not Granting Bail माननीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि धीरे-धीरे संवैधानिक मूल्यों का तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता (Liberty) का मूल्यांकन घटता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 सालों में केसेज की Pendency 35% बढ़ रही है। 62 लाख केसों से बढ़कर 46.8 लाख हो गये हैं। हाई कोर्टस् में 2019 से 2023 तक यह Pendency 48.6 लाख से 62 लाख बढ़ गई है। नीचे की अदालतों में यह Pendency 4.4 करोड़ है। कानून मंत्री मेघवाल ने ये आंकडे संसद में दिये हैं। इसके कारण भी बताये हैं। इन आंकडों से अंदाज लगाया जा सकता है कि न्यायालय विलम्ब के बोझ से दबे हुये हैं। इसका अर्थ है जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। यों भी न्याय बहुत मंहगा है और विलम्ब तो इतना भी है कि पीढ़ी खत्म होने पर भी न्याय नहीं मिलता।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट आर एम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली के दिनांक 04.08.2024 के समारोह में बढ़ती संख्या के कारण त्वरित न्याय नहीं मिलने पर सलाह दी कि न्यायालय के द्वार 365 दिन खुलने चाहिये। विचार क्रान्तिकारी है। जब जलदाय विभाग और अस्पताल 365 दिन काम करते हैं तो न्याय का द्वार 24 घंटे खुला ही रहना चाहिये। तीन नये कानून देश में लागू किये गये हैं। ये हैं– सीआरपीसी, आईपीसी व एवीडेन्स एक्ट के नये रूप। इनमें भी विलम्ब के कोई सकारात्मक उपाय नहीं बताये गये हैं।

लेखक का अपना मत है प्रत्येक हाईकोर्ट को अपना स्वंय का Jurisprudence बनाना होगा। जमानत के मामलों में सीजेआई के स्पष्ट विचार उपरोक्त चरण में दिये गये हैं। जमानत देना व न देना कानून संचालित करता है; किन्तु सर्वपरी है मजिस्ट्रेट व जज का अपना विवेक । कुछ समय पूर्व Liberty में यह संशोधन हुआ था कि 7 वर्ष की सजा तक के केसेज में साधारण रूप से जमानत ली जा सकती है किन्तु लागू नहीं हुआ। सर्वमान सिद्धान्त है कि आरोपी को निर्दोष माना जावे और उसे स्वीकार किया जावे कि संविधान उसे Cr.PC का अधिकार देता है। यदि मजिस्ट्रेट व जज का विवेक सही है तो अपील कोर्ट का आदेश भी उसे निरस्त नहीं कर सकता। वर्तमान में जमानत के प्रावधान (Non bailable Offences esa) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 में दिये गये हैं। जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में यह शंका है कि उसने Non bailable Offence किया है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता, किन्तु यदि उसके विरूद्ध यदि अपराध का आरोप ऐसा है, जिसमें सजा आजन्म कारावास अथवा मृत्यु है तो उसे जमानत नहीं दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यदि परिस्थितियों उपधारा (ii) धारा 480 की है तो उसे जमानत नहीं दी जावेगी।

हम डिजीटल युग में रह रहे हैं अतः गवाहों आरोपियों की तलबी में उसका प्रयोग होना चाहिये। क्रॉस एग्जामिनेशन में थोडा कठोर भी मजिस्ट्रेट हो सकता है। कोर्ट में बार व बैंच का सम्बन्ध मधुर, सौहार्द्रपूर्ण हो तो काम सुलभ होगा। हाईकोर्ट में समय बहुत नष्ट होता है। कोर्ट के दो घंटे तो सर्विस, आदेश, आदि में समाप्त हो जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व सीजेआई की सलाह जिसका ऊपर उल्लेख किया है साथ ही व्यक्ति को Liberty का संवैधानिक अधिकार है, ऐसी स्थिति में जमानत लिया जाने के पक्ष में मजिस्ट्रेट का विवेक काम में आना चाहिये। जमानत लिये जाने से ट्रायल भी शीघ्र पूरी होगी। मजिस्ट्रेट को जमानत के बाद उचित शर्ते लगाने और साथ ही जमानत निरस्त करने का अधिकार भी है। इस प्रक्रिया से जेलों पर जो भार बढ़ा हुआ है वह भी कम होगा और जेलों की व्यवस्था भी सुधरेगी। माननीय सीजेआई के अनुसार हाईकोर्ट का कर्त्तव्य है कि वे स्वंय जमानत के प्रावधानों की निर्भिकता से पालना करें और अधीनस्थ न्यायालयों में विश्वास का साहस भरें।

प्रत्येक कोर्ट को अपना प्रोसीजर कानून के दायरे में बनाना चाहिये। गवाहों के बुलाने और तारीख बदलने का काम अपने विवेक से चलाना चाहिये। मजिस्ट्रेट जमानत का काम एक घंटे में निपटा सकता है। फाईल पढ़कर आवे और जमानत का केस है तो मजिस्ट्रेट बिना सुने जमानत का आदेश पारित कर सकते हैं। जमानत के आदेश को तत्काल सुनाना चाहिये, उसको स्थगित करना उचित नहीं है।

हम डिजीटल युग में रह रहे हैं अत: गवाहों आरोपियों की तलबी में उसका प्रयोग होना चाहिये। क्रॉस एग्जामिनेशन में थोडा कठोर भी मजिस्ट्रेट हो सकता है। कोर्ट में बार व बैंच का सम्बन्ध मधुर, सौहार्द्रपूर्ण हो तो काम सुलभ होगा।

हाईकोर्ट में समय बहुत नष्ट होता है। कोर्ट के दो घंटे तो सर्विस, आदेश, आदि में समाप्त हो जाते हैं। सर्विस व प्लीडिंग्स का कार्य Judicial Registrar को सौंप देना चाहिये। जिन केसेज में स्टे की मांग है जैसे रिटों के मामलों में, उनमें अधिकांश में Final Disposal का नोटिस भेजा जाना चाहिये ताकि Admission की स्टेज पर है केस निर्णित हो सके। प्रथम अपील को As of Right के आधार पर Admit करना चाहिये। Possession (कब्जे) का जहां तक प्रश्न है उसके समयबद्ध स्थगन आदेश दिया जाना चाहिये और फिर अपील का निर्णय। प्रत्येक केस में यह जानकारी फरीकों से पूछी जानी चाहिये कि क्या हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का कोई केस इस पर लागू है उसके आधार पर (प्रसीडेन्ट के मानकर) केस का Disposal किया जा सकता है।

एक्सीडेन्ट क्लेम व कन्जूमर फॉरम के केसों में कम या ज्यादा मुआवजा कर केसों का निपटारा करना चाहिये। जहां तक संभव हो लोक अदालत की भावना से भी केस निर्णित किया जा सकता है।

अपील केसों में फैसले में केवल आवश्यक तथ्यों को ही लिया जावे। प्लेे को सीमित किया जावे। जहां अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) का प्रश्न है, उसे पहले निर्णित किया जावे किन्तु विकल्प में गुणदोष के आधार पर भी फैसला दिया जावे ताकि Remand पर विलम्ब से बचा जावे।

रिट ज्यूरिस्डीकशनल मामलों में कोर्ट बहस के लिये समय सीमा की बन्दिश लगा सकती है और दोनों पक्षों से यदि वे चाहें तो लिखित बहस देने का आदेश भी दे सकती है। निर्णय के लिये यदि अपने ही हाईकोर्ट का निर्णय है, अथवा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो तो अन्य नजीरों को फैसले में शामिल कर निर्णय को बोझिल न बनायें।

प्रयत्न करना चाहिये कि एक ही श्रेणी के केसों को शीघ्र से शीघ्र निपटारा किया जावे। उदाहरण के तौर पर टैक्स के मामले हैं। टैक्स के केसों में दो प्रकार के स्टे नहीं होने चाहिये। जैसे एक केस में टैक्स की पूरी रिकवरी पर रोक लगाई है और दूसरे केस में 50 प्रतिशत टैक्स जमा कराई जाने का आदेश हो।

पुराने पेन्डिंग केसों को सप्ताह के एक दिन लगाये जावें। इससे पूर्व रजिस्ट्री को पेन्डिंग केसों का Clasification कराया जावे। कई केसेज ऐसे मिलेंगे, जिनका अभिप्राय ही समाप्त हो चुका है। फौजदारी केसों में अधिकांश केसों को Already Undergone सजा के आधार पर निर्णित किया जा सकता है। कई केस ऐसे मिलेंगे, जो वस्तुत: सिविल नेचर के हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के केसों को 420 IPC या जालसाजी का केस बनाया गया है। उसका निस्तारण किया जा सकता है। सन् 1966 का एक Covenent nw International Covenent on Civil and Political Rights, 1966 जिसमें निर्देश दिया है कि Civil Liability के कारण व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता। (Article 16: No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation) का भाग है और कोर्ट में Enforceable है।

हाईकोर्ट का Writ Jurisdiction, Extraordinary Jurisdiction कहा जाता है, क्योंकि Ordinary Jurisdiction सिविल कोर्ट का है। प्राय: यह देखने में आया है कि हाईकोर्ट की कई बैंचे हाईकोर्ट के अनुच्छेद 226 व 227 में सही भेद नहीं कर रही है। हाईकोर्ट का अनुच्छेद 227 के तहत् जो अधिकार क्षेत्र है वह रिव्यू जैसा है। अनुच्छेद 227 स्पष्ट कहता है कि हाईकोर्ट को इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अधीक्षण का अधिकार है और वह उन कोर्टस् व ट्रिव्यूनलस् पर है जो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

जिन केसेज पर सुप्रीम कोर्ट की नजीर सीधी लागू होती है, उसे केवल एक या दो पैरा के आदेश से निर्णित किया जा सकता है।

यहाँ लेखक ने कुछ सिद्धान्तों का ही उल्लेख किया है। ऐसे कई उपाय हैं, जिनसे केसेज की पेन्डेन्सी को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है और जनता को त्वरित न्याय दिलाया जा सकता है।

न्याय सबको सस्ता, सुलभ व त्वरित प्राप्त हो।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

सलाम- विनेश फोगाट!

राजेन्द्र भाणावत

आप शीर्षक पढ़कर चौंकिए मत। आप सोच रहे होंगे कि उस विनेश फोगाट को सलाम क्यों किया जा रहा है जिसे वजन अधिक वजन होने के कारण ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह सही है, किंतु यह भी सही है कि इसी विनेश फोगाट ने 6 अगस्त 2024 को भारतीय कुश्ती में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया था। विनेश ने 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में पहली बार भाग लेते हुए गत ओलंपिक चैंपियन और 82 कुश्तियों से अजेय जापान की पहलवान सासुकी को परास्त किया था। इसी विनेश फोगाट ने उसी दिन क्वार्टर फाइनल एवं सेमीफाइनल में दो और मजबूत पहलवानों को हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया था। इसी विनेश फोगाट ने पहली महिला भारतीय पहलवान होने का गौरव प्राप्त किया जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया। अगले दिन, अर्थात 7 अगस्त को सायं उसका मुकाबला अमेरिका की पहलवान फ़िल्डब्रांट से होने वाला था। प्रात: काल जब उसका वजन लिया गया तो वह 50 किलो से 100 ग्राम अधिक निकला। फलस्वरूप उसे पूरी प्रतियोगिता के लिए ही अयोग्य घोषित कर दिया।

कहा जाता है कि पूरी रात, विनेश ने जाग कर विभिन्न प्रकार की कसरत करके, अपने स्टाफ की देखरेख में अपना वजन लगभग 2.7 किलो घटाकर 50 किलो से कम करने का पूरा प्रयास किया। जब औपचारिक रूप से इसका वजन 7 अगस्त को प्रात: लिया गया तो वह 100 ग्राम अधिक निकला। ओलंपिक नियमों के अनुसार उसे पूरी प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और उसके द्वारा जीती हुई तीन कुश्तियां भी बेकार हो गई। इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध और दु:खी कर दिया। यह नियम विचित्र है, क्योंकि जिन तीन कुश्तियां को उसने जीता वह नियमानुसार बिल्कुल सही थी और यदि फाइनल से पूर्व अयोग्य भी होती, तो उसे फाइनल खेलने से वंचित करके रजत पदक का हकदार माना जा सकता था। यह बात तो नियमों की हुई। अब सीएएस के यहां अपील कर दी गई है, उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि क्या विनेश को रजत पदक दिया जाएगा या नहीं? संभावना तो यही है कि उसे किसी प्रकार का कोई पदक नहीं मिलेगा।

भले ही, विनेश ने ओलंपिक पदक गवां दिया हो, किंतु वह एक जुझारू भारतीय महिला का चेहरा बनकर उभरी है। यह वही विनेश फोगाट है, जिसने कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के विरुद्ध महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाकर, साथी पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ दिल्ली की सड़कों पर 2023 में आंदोलन किया था। यह वही विनेश फोगाट है जिसे धरने से उठाने के लिए पुलिस द्वारा सड़कों पर घसीटा गया और उनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई। यह वही विनेश फोगाट है जिसे बृजभूषण शरण सिंह ने चुका हुआ कारतूस और खोटा सिक्का कहा था और यह भी कहा कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगा। ये सब दृश्य आज भी कमरे में कैद हैं। यदि और कोई महिला होती और वह विनेश फोगाट नहीं होती, तो कभी की टूट चुकी होती और सन्यास ले चुकी होती। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने तो थक-हार कर प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी। दुखद आश्चर्य की बात है कि जब भारत के गौरव ये पहलवान, बृजभूषण सिंह के विरुद्ध आंदोलनरत थे तो प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस बारे में कुछ नहीं बोला, इन्हें मिलने के लिए बुलाना तो दूर की बात है। विनेश फोगाट कुछ सालों से 53 किलो ग्राम कुश्ती वर्ग में खेल रही थी किन्तु ओलंपिक में उसे 50 किलो ग्राम वर्ग में भेजा गया। इस हेतु उसे कई किलो वजन कम करना पड़ा। नई श्रेणी में प्रवेश के कारण उसे कोई सीडिंग नहीं मिली और उसका मुकाबला पहले ही राउंड में ओलंपिक विजेता पहलवान जापान की सासुकी से हुआ। इसके बावजूद सबको अचंभित करते हुए विनेश ने अपने दम पर जापान के पहलवान को 10 वर्षों में पहली बार हराया।

शायद, विनेश के फाइनल में प्रवेश से सत्ताधारी दल और सरकार बहुत प्रसन्न नहीं थे। अन्यथा, पहली बार भारतीय महिला पहलवान के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने पर प्रधानमंत्री द्वारा उसे बधाई और शुभकामना संदेश देने के लिए 6 अगस्त को कोई ट्वीट या फोन अवश्य किया जाता जैसा कि वे सामान्यतया करते रहे हैं। 7 अगस्त को, जब विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो प्रधानमंत्री ने उसके कसीदे पढ़े और उसे 'चैंपियनों का चैंपियन' बताया। यह बात भी आसानी से गले नहीं उतरती कि, क्या विनेश फोगाट, जो 2 किलो से अधिक वजन कम कर सकी, वह 100 ग्राम वजन और कम नहीं कर सकती थी? यह प्रश्न भी अभी तक अनुत्तरित है कि उसका वजन ढाई किलो कैसे बढ़ गया? क्या उसके स्टाफ ने उसकी डाइट पर कोई निगरानी नहीं रखी, यह जानते हुए भी कि अगले दिन उसे फिर कुश्ती लड़नी पड़ेगी एवं उसके लिए सुबह फिर उसका वजन होगा? पहलवान तो केवल कुश्ती लड़ सकता है, उसके लिए डाइट, कसरत से वजन, निर्धारित सीमा में रखने की जिम्मेदारी उसके कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर आदि की ही थी। आशंका यह है कि क्या यह सब यही चाहते थे कि विनेश को सबक सिखाया जाए ताकि जिस लड़की ने सिस्टम को चुनौती दी, वह सिस्टम से कहीं जीत न जाए? यही हुआ और उसके पूरे जुझारूपन के बावजूद सिस्टम उस पर हावी हो गया और अधिक वजन के कारण उसे अयोग्यता का शिकार होना पड़ा। अब जबकि विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वह भारतीय महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। उसे ओलंपिक पदक भले ही न मिला हो, किंतु आज वह सब भारतीयों के दिलों पर राज कर रही है। विनेश फोगाट ने ऐसे समाज में सिस्टम को चुनौती दी, जहां लड़कियों को केवल पुरुषों का आज्ञाकारी बनाया जाता है, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे प्रश्न करें एवं संघर्ष करें। इन सारी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हुए विनेश ने संघर्ष का रास्ता चुना और सभी प्रतिरोधों का मुकाबला करते हुए भी पुन: उठ खड़ी हुई। सिस्टम के कारण उसे पदक न मिला हो, किंतु उसके अयोग्य घोषित होने पर जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनका उत्तर तो भारतवासी पूरे कुश्ती तंत्र से मांग ही रहे हैं। इनका उत्तर, आज नहीं तो कल, उन्हें देना ही होगा कि कैसे उनकी अक्षमता और उदासीनता के कारण एक सर्वकालिक महान भारतीय महिला पहलवान को ओलंपिक के स्वर्ण अथवा रजत पदक से वंचित रहना पड़ा? किसी भी विशेषज्ञ ने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा कि विनेश को क्या डाइट दी जा रही है एवं उससे किस प्रकार उसका वजन बढ़ेगा? औपचारिक रूप से वजन के लिए जाने से पूर्व भी तो भारतीय दल ने विनेश का वजन कई बार लिया ही होगा। यह बात गलत नहीं उतरती है कि 2 किलो वजन कम किया जा सकता है, तो 100 ग्राम और कम क्यों नहीं किया जा सका?

अंत में हम यही कहेंगे कि विनेश, आपने भारतीय महिलाओं के लिए वह कर दिखाया है जो शायद ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी नहीं कर पाता। आपने उन्हें संघर्ष की राह दिखाई है, सवाल करने का हौसला दिया है। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आपको परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए आपको सलाम करने का मन करता है। सलाम, विनेश।

–राजेन्द्र भाणावत,
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

बजट 2024 में रोजगार सृजन के सार्थक प्रयास

देश के सतत विकास के लिए युवा शक्ति की क्षमता का पूरी तरह दोहन करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से रोजगार सृजन लंबे समय से भारत की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से कई रणनीतिक उपायों की रूपरेखा दी गई है। ये पहल एक बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जो तत्काल रोजगार सृजन और दीर्घकालिक कार्यबल विकास दोनों ही समस्याओं का निराकरण करती हैं। इस लेख में हम बजट में रोजगार सृजन के लिए किए गए उपायों और उनके प्रभाव की व्याख्या करेंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का विस्तार: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की आधारशिला रहा है। बजट 2024 में, सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आवंटन के साथ पीएमईजीपी कार्यक्रम का काफी विस्तार किया है। इस विस्तार का उद्देश्य नए और मौजूदा एमएसएमई को बेहतर वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बढ़ाया गया पीएमईजीपी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लक्षित करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि रोजगार सृजन समावेशी हो। युवा और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ऋण पर कम ब्याज दरें और व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देकर, सरकार को आने वाले वित्तीय वर्ष में कई लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल: रोजगार क्षमता बढ़ाने में कौशल विकास के महत्व को पहचानते हुए, बजट 2024 में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल अधिग्रहण में सुधार के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए हैं।

बजट में निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी में नए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केंद्र प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार उद्योग-विशिष्ट प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है जो बाजार की मांग के अनुरूप हों, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटा जा सके।

स्टार्ट-अप और नवाचार के लिए समर्थन: स्टार्ट-अप रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। बजट 2024 में, सरकार ने कर प्रोत्साहन और नियमों का सरलीकरण करके स्टार्ट-अप का समर्थन करने के उद्देश्य से एक नई पहल की है। बजट में स्टार्ट-अप के लिए कर लाभों के तीन साल के विस्तार के साथ-साथ पंजीकरण और वित्तपोषण के लिए एक सरल आवेदन प्रक्रिया का प्रस्ताव है। सरकार ने विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए एक नए 5,000 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की है। यह फंड उन नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए उद्यम पूंजी समर्थन और अनुदान निधि प्रदान करेगा जिनमें महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता है।

बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं: बुनियादी ढांचे के विकास का रोजगार पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। बजट 2024 में सड़क निर्माण, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी पहलों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन से निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और संबंधित उद्योगों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

सरकार उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है जो क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करेंगी, जिससे रोजगार में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकेगा। राजमार्गों और रेलवे जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश से बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलने और रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना: भारत में रोजगार के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर है। बजट 2024 में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के उपाय पेश किए गए हैं। सरकार ने कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एकीकरण और टिकाऊ खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

बजट में कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेटरों की स्थापना और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों के लिए समर्थन के प्रावधान भी शामिल हैं। ये पहल कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि उत्पादों का मूल्य जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे किसानों की आय और रोजगार की संभावनाओं में सुधार होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार और सुधार: सरकार ने दक्षता और रोजगार सृजन में सुधार के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों की भी घोषणा की है। बजट 2024 में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मौजूदा रिक्तियों को भरने की योजना शामिल है।

-राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान से सैम्पल लिए

मिठाई विक्रेता द्वारा एक ग्राहक को पुराना रखा घेवर बेच दिए जाने और ग्राहक द्वारा उसे उपयोग लेने के दौरान मरे हुए मकोड़े मिले थे

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के इंदिरा मार्केट स्थित एक मिठाई विक्रेता द्वारा एक ग्राहक को पुराना रखा घेवर बेच दिए जाने और उसे उपयोग लेने के दौरान मरे हुए मकोड़े पाए जाने पर ग्राहक द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत की गई। इस पर अधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से लिया जाकर दिखाई जाने की बात कही, लेकिन मिठाई विक्रेता पर किसी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस पर ग्राहक ने तत्काल एक लिखित शिकायत जिला कलेक्टर को दी। इसके बाद हरकत में आए विभाग के जिम्मेदारों ने देर शाम को उक्त दुकान से मिठाईयों के सैम्पल लिए।

जानकारी के अनुसार तिलकनगर निवासी ग्राहक राजेश जीनगर ने इन्द्रा मार्केट स्थित ब्यावर वाले के यहां 270 रूपए देकर घेवर लिया। जिसे घर पर खाने के दौरान सर्व करने पर मरे हुए मकोड़े पाए गए। इस बात की शिकायत दूरभाष पर सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी को दी गई, जिस पर सीएमएचओ गोस्वामी ने उक्त मिठाई विक्रेता पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन दोपहर तक भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से ग्राहक द्वारा जिला कलेक्टर नमित मेहता को लिखित शिकायत देकर घटनाक्रम से अवगत करवाया गया और शिकायत पत्र में सीएमएचओ द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेने की बात भी कही गई। इसके बाद हरकत में आए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने दुकान पर पहुंचकर जांच के हेतु सैम्पल लिए।

राशिफल शुक्रवार 9 अगस्त, 2024

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:34 तक, शिवयोग दिन 12:29 तक, वणिज करण दिन 11:21 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

रवियोग रात्रि 2:44 तक है। आज वरद विनायक चतुर्थी, दुर्वा गणपति व्रत है और श्रवण तपस्या आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:37 तक, चर 10:54 से 12:32 तक, लाभ-अमृत 12:32 से 3:49 तक, शुभ 5:28 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:59, सूर्यास्त 7:05

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

सिंह
आर्थिक/वित्तिय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यो सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा।

धनु
घर-परिवार में कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

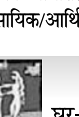

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

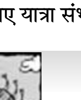

मिथुन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

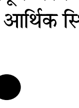

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

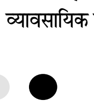

मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।